फोन: कार्या. (0522) 4315157, 4024591
ई-मेल : upsanskritsansthanam@yahoo.com

उत्तर-प्रदेश-संस्कृत-संस्थानम्

(भाषा विभाग उ0प्र0 शासन के नियंत्रणाधीन)
इन्दिरा भवन, पंचम तल, कक्ष सं0: 520, लखनऊ - 226001
वेबसाइट : www.upsanskritsansthanam.org

पत्रांक................................
दिनांक................................

आवेदन आमंत्रण सूचना

एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ द्वारा आद्य शंकराचार्य जयन्ती दिनांक 6–5–2022 तथा बुद्ध जयन्ती दिनांक 16–5–2022 के उपलक्ष्य में वैशाख शुक्ल पंचमी तथा वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश में स्थित विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा पंजीकृत संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में शैक्षणिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने हेतु इच्छुक संस्थाओं से दिनांक 25 अप्रैल 2022 तक निर्धारित प्रारुप पर आवेदन आमंत्रित हैं।

आवेदन पत्र का प्रारुप तथा नियम निर्देश संस्थान की वेबसाइट/संस्थान कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं।

निदेशक

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्त्वावधान में आद्यशंकराचार्य जयन्ती दिनांक 6–5–2022 (वैशाख शुक्ल पंचमी)/बुद्ध जयन्ती दिनांक16–5–2022 (वैशाख शुक्ल पूर्णिमा) को कार्यक्रमों के आयोजनार्थ आवेदन पत्र

संस्था का नाम ....

पत्र व्यवहार हेतु पता..

....

दूरभाष .... ई–मेल(कैपिटल लेटर में) ....

आयोजन के स्वरूप का चयन करें : (शैक्षणिक/सांस्कृतिक कार्यक्रम)

प्रस्तावित आयोजन का चयन करें– आद्यशंकराचार्य /बुद्ध जयन्ती

विद्यालय/महाविद्यालय/पंजीकृत संस्था के स्थापना की तिथि : ....

पंजीकरण संख्या : .... तिथि ....

धन प्राप्त कर्ता संस्था का नाम : ....

बैंक का नाम : .... शाखा

बैंक खाता संख्या : ....आईएफएससीकोड...

आयोजन की विस्तृत रूप रेखा (पृथक् से संलग्न किया जायें)

सम्भावित मदवार व्यय विवरण (पृथक् से संलग्न किया जायें)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना एवं संलग्न किए गये सभी प्रपत्र सत्य व सही हैं। मैं उ0 प्र0 संस्कृत संस्थान, लखनऊ द्वारा निर्धारित सभी नियम व शर्तों का पालन करूँगा।

तिथि :

आवेदक का हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

मोहर ....

नोट– संस्थान में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उ0प्र0 संस्कृत संस्थान, लखनऊ का होगा। निदेशक द्वारा लिये गये निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

संयुक्त तत्ववाधान मेंआयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु नियम निर्देश–

1. संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि साहित्य के प्रचार प्रसार में रत तथा संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं के स्थानीय विद्वानों के सहयोग से संचालित संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रमों के आयोजनार्थ आवेदन आमंत्रित है।
2. कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र, बैनर, प्रचार–प्रसार सामग्री, प्रमाणपत्र, पोस्टर, बैकड्राप आदि पर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ के नाम एवं लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा।
3. कार्यक्रम में अतिथि के रुप में किसी गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित किया जाय ।
4. कार्यक्रम का वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराना अनिवार्य होगा।
5. आवास, विद्युत व्यवस्था, साउण्ड सिस्टम, फूल–माला, सजावट कार्य, अतिथियों का आतिथ्य तथा कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई आदि कार्य आयोजक संस्था द्वारा किया जाये।
6. कार्यक्रम के उपरान्त निमंत्रण पत्र, प्रचार–प्रसार सामग्री की मूल प्रति, बैनर, पोस्टर, बैकड्राप एवं कार्यक्रम का फोटोग्राफ, विडियो, समाचार पत्र की कटिंग एवं आयोजन में हुए व्ययों के विवरण के साथ बिल की प्रमाणित मूल प्रति संस्थान में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. संस्थान द्वारा विद्वानों के मानदेय, मार्गव्यय, पुरस्कार राशि, प्रचार–प्रसार सामग्री, यथा–निमंत्रण पत्र, फ्लैक्स, बैनर, टेन्टेज, फोटोग्राफी एवं विडियाग्राफी पर व्यय धनराशि दिया जायेगा, जो कि आयोजन पर हुए सम्पूर्ण व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त शेष व्यय आयोजक संस्था को स्वयं वहन करना होगा।
8. विद्वानों/निर्णायकों को व्याख्यान/प्रतियोगिता का निर्णय करने हेतु प्रति दिन प्रति विद्वान रु0 2,500/–मानदेय एवं छात्रों को प्रथम पुरस्कार रु0 3,000/– द्वितीय पुरस्कार रु0 2,000/–तथा तृतीय पुरस्कार रु0 1,000/–संस्थान द्वारा दिया जायेगा।
9. छात्र प्रतियोगिता/सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्रों/कलाकारों का नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा का नाम संस्थान को उपलब्ध कराना होगा।
10. किसी भी छात्र प्रतियोगिता में न्यूनतम 5 छात्रों का प्रतिभाग होने पर ही प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिये जा सकते हैं।
11. विद्वानों के मानदेय तथा छात्रों के पुरस्कार की धनराशि की अग्रिमप्राप्तिरसीदउपलब्ध करानाअनिवार्यहोगा।
12. संस्थान द्वारा कार्यक्रम स्वीकृत होने के उपरान्त आवेदक संस्था के मांग के आधार पर स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 50 प्रतिशत धनराशि,कार्यक्रम से पूर्व आयोजक संस्था के बैंक खाते में दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। कार्यक्रम के उपरान्त समस्त अभिलेख तथा बिल की मूल प्रति संस्थान में उपलब्ध कराने के पश्चात् स्वीकृत धनराशि का अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
13. विद्यालय/संस्था प्रमुख द्वारा सभी प्रकार के बिल वाउचर एवं प्राप्ति रसीद पर मुहर सहित हस्ताक्षर कर प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
14. ऑफलाइन कार्यक्रम किये जाने पर सरकार द्वारा जारी कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन कराना आयोजक संस्था की जिम्मेदारी होगी।
15. कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र, बैनर, प्रचार–प्रसार सामग्री, बैकड्राप आदि पर आजादी का अमृतमहात्सव के नाम व लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा।

प्रशासनिक अधिकारी/निदेशक